© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

कृषि विकास के अन्तर्गत भूमि उपयोग आजमगढ़ जनपद का प्रतीक अध्ययन

[1]अलका राय, [2]शिवलोचन सिंह
भूगोल विभाग, राष्ट्रीय पी० जी० कालेज जमुहाई, जौनपुर

शोध सारांश

जनसंख्या आकार, व्यावसायिक संरचना, प्रशासकीय स्थिति के अनुसार अधिवास को दो भागों में विभाजित किया गया है–1. ग्रामीण अधिवास, 2. नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवास के अन्तर्गत, कृषि, पशुपालन, बागवानी उत्खनन पशुओं का शिकार, मछली पकड़ना आदि प्राथमिक कार्य ग्रामीण अधिवास में सम्मिलित है अधिवास अनुरूप की तीन आवश्यकताओं में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना जाता है। आदिम मानव जंगलों में रहकर जीवन यापन करता था। मानव सभ्यता का विकास होने के साथ मानव अपने रहने के विभिन्न प्रकार के अधिवासों का निर्माण करके निधि, पत्थर, ईंट, लोहा, कंकरीट आदि सामग्री के द्वारा अधिवासों का मानव समाज का सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्रियाओं का विकास ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप एवं वितरण के द्वारा किया जाता है। कृषि विकास, भूमि उपयोग, कृषि भूमि उपयोग अध्ययन क्षेत्र टाजमगढ़ में कृषि विकास के अन्तर्गत भूमि उपयोग का क्षेत्रफल कितना है। भूमि उपयोग तथा इसके प्रारूपों में परिवर्तन के फलस्वरूप जनसंख्या तथा भूमि के बीच संबंधों के संदर्भ में जटिल समस्याओं के प्रति चिन्तन, मनन एवं निर्वचन हेतु हमें वाध्य करते हैं। अतः इस शोध पत्र के द्वारा टाजमगढ़ जनपद में भूमि उपयोग का अध्ययन किया गया है। सिंचाई के साधनों, से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही हैं वनों के विनाश से मृदा का विनाश हो रहा है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है लेकिन अन्य भूमि धीरे–धीरे कम होती जा रही है।

प्रस्तावनाः

आजमगढ़ जनपद का नाम राजा आजमशाह के नाम पर पढ़ा है जो राजा हरिवंश के पौत्र थे। 19 नवम्बर सन् 1988 में मऊ से अलग होकर पुनर्गठित हुआ। इस जनपद की विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 25°28श से 26°27श उत्तरी अक्षांश तथा 82°41श से 53°52श पूर्वी दान्तर के मध्य गंगा के निचली मैदान स्थित है। अब इस जनपद का क्षेत्रफल 2064 वर्ग किमी है। आजमगढ़ जनपद की पूर्वी सीमा मऊ दक्षिण एवं गाजीपुर दक्षिण में जौनपुर पश्चिम में सुल्तानपुर उत्तर पश्चिम में अम्बेडकरनगर, उत्तर–पूर्व में गोरखपुर द्वारा निर्धारित है। इस जनपद का पूर्व से पश्चिम 65 किमी0 तथा उत्तर से दक्षिण 75 किमी है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.60 प्रतिशत है। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 4612134 है जिसमें पुरुष की जनसंख्या 2284157 तथा महिला की जनसंख्या 2327977 है तथा जनपद में लिंगानुपात 1000/1019 है और साक्षरता 70.29 प्रतिशत है। जनपद में जनसंख्या घनत्व 1138 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है तथा जनसंख्या वृद्धि 15.

82 प्रतिशत है। इस जनपद में 8 तहसील, 22 विकासखण्ड तथा 278 न्यायपंचायत 25 थाना, 3800 गाँव स्थित है। जनसंख्या विकास प्रतिरूप के अनुसार जनपद आजमगढ़ की जनसंख्या एवं आर्थिक विकास की वर्तमान रूपरेखा का आकलन करके एक ऐसी योजना प्रस्तुत करना है जिनके अनुसार जनसंख्या और पर्यावरण के बीच सन्तुलन बनाये रखने के लिए अध्ययन क्षेत्र जनपद आजमगढ़ में 2011 की जनगणना के आधार पर आंकलन किया गया है।

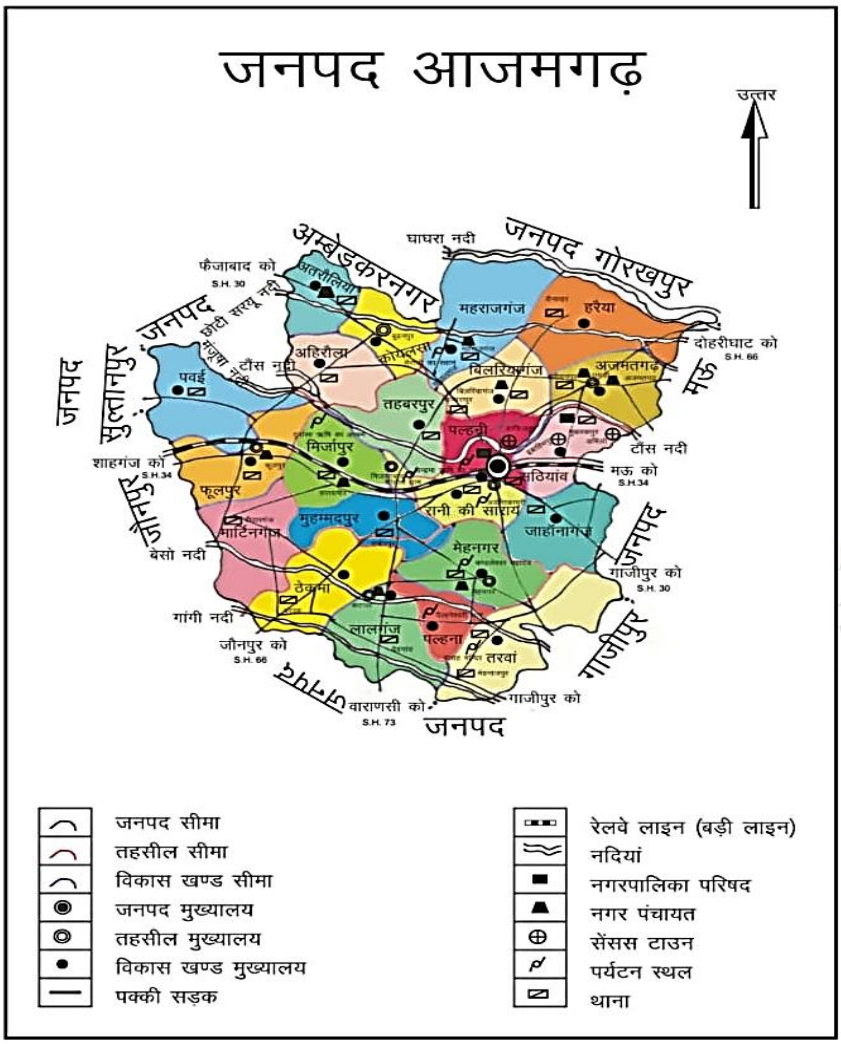

अध्ययन के उद्देश्य

1. जनपद में भूमि उपयोग का स्वरूप प्रस्तुत करना ।
2. जनपद में विकासखण्डवार भूमि उपयोग प्रारूप को प्रदर्शित करना।
3. जनपद में कृषि के आधारभूत ढॉचा को मजबूत करने के लिये किये गये कार्यो का कृषि भूमि उपयोग पर पडते प्रभाव को ज्ञात करना।

शोध प्रविधि

अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास के आयाम एवं पर्यावरण से भूमि का स्वरूप बदला है। इन्हें ध्यान में रखकर वर्तमान अध्ययन के निम्न उद्देश्य रखे गये है, जनपद में वर्तमान भूमि उपयोग का स्वरूप प्रस्तुत करना एवं जनपद में

विकासखण्डवार कृषि भूमि उपयोग एवं फसल प्रारूप को प्रदर्शित करना। भूमि उपयोग तथा इसके प्रारूपों में परिवर्तन के फलस्वरूप मानव तथा भूमि के बीच संबंधों के सन्दर्भ में जटिल समस्याओं के प्रति व्यापक चिन्ता इस दिशा में चिन्तन, मनन एवं निर्वचन हेतु हमें बाध्य करते है। अतः इस शोध पत्र के द्वारा टाजमगढ़ जनपद में भूमि के स्वरूप में आये परिवर्तन का अध्ययन किया गया है।

आजमगढ़ जनपद में कृषि विकास और पर्यावरणीय कारकों से भूमि के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। अनुकूल भौगोलिक दशाओं (समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी) उत्तम जलवायु, जल संसाधन की उपलब्धता के बढ़ते दबाव के कारण टाजमगढ़ जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 68–07 भाग पर कृषि कार्य सम्पादित होता है। आजमगढ़ जनपद के 69086 है क्षेत्र (67–01 प्रतिशत) में कृषि की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में (67–38 प्रतिशत) कृषि भूमि विस्तार है तथा नगरीय क्षेत्र में (27–37 प्रतिशत) का विस्तार है। सबसे अधिक कृषित भूमि औराई विकासखण्ड में 68–33 प्रतिशत है। सबसे कम कृषित भूमि अभोली विकासखण्ड अभोली विकासखण्ड में 65–69 प्रतिशत है। जनसंख्या वितरण से सम्बन्धित ऑकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या दबाव का स्पष्ट प्रभाव कृषिगत भूमि की मात्रा पर पड़ता है। परती भूमि की जुताई व उर्वरकों द्वारा मृदा का उपजाऊपन बढ़ाकर कृषि पैदावार बढ़ाई जा सकती है और पुनः इस प्रकार की भूमि पर कृषि की जा सकती है।

कृषि योग्य बंजर भूमि यह भूमि मजदूरों, सिंचाई के साधनों की कमी, वर्षा आदि के अभाव के कारण खाली छोड दी जाती है। जनपद टाजमगढ़ में 410 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि है। जो अध्ययन शुद्ध क्षेत्र के 0–40 प्रतिशत क्षेत्रफल में स्थित है। यह भूमि में सबसे अधिक टाजमगढ़ विकासखण्ड में 0–45 प्रतिशत है तथा जबकि सबसे कम अभोली विकासखण्ड में 0–29 प्रतिशत है। गया चारागाह, उद्यान, वृक्ष व झाड़ियों अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित भूमि से कुछ आर्थिक उत्पादन होता है अध्ययन क्षेत्र में 851 हेक्टेयर क्षेत्र इसके अन्तर्गत आता है। सबसे अधिक सुरियावॉ विकासखण्ड में 0. 70 प्रतिशत है तथा सबसे कम अभोली विकासखण्ड में 0.28 प्रतिशत है। भूमि की कम उर्वरता शक्ति, सुविधाओं का अभाव, कृषक की अभिरूचि, बाढ़ व सूखा आदि ऐसे कारक है जो किसी भी परती भूमि की मात्रा व स्वरूप का निर्धारित करते है। अध्ययन क्षेत्र का 12742 हेक्टेयर अर्थात् 12.36 प्रतिशत परती भूमि की श्रेणी में आता है। सबसे अधिक परती भूमि अभोली विकासखण्ड 13.26 प्रतिशत में है। जो जनपदीय औसत 12.36 प्रतिशत से लगभग तीन प्रतिशत अधिक है। सुरियावॉ विकासखण्ड में 10.29 प्रतिशत परती भूमि है जो समस्त विकासखण्डों में सबसे कम है। परती भूमि संबंधी ऑकड़ों का विश्लेषण से स्पष्ट है कि परती भूमि की मात्रा व जनसंख्या दबाव, सिंचन सुविधाओं के विकास से प्रभावित है।

भूमि प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन में आधारभूत संकल्पनाओं का सही–सही ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है क्योंकि भूमि उपयोग भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। सामान्य बोल–चाल में धरातल या मिट्टी एक ऐसी वस्तु माना जाता है। जिस पर मनुष्य ठहर सकता हो मकान बना सकता हो, पशुपालन कर सकता हो, वन बाग–बगीचे, कृषि कार्य कर सकता हो। परन्तु भूगोलवेत्ताओं एवं कृषि वैज्ञानिकों की दृष्टि से भूमि का उपयोग वर्तमान समय में

विभिन्न प्रकारों के कार्यों में किया जाता है। शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग का वर्तमान 2015–16 के आंकड़ों के आधार पर भूमि उपयोग को हेक्टेअर में प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग का प्रतिरूप विभिन्न प्रखण्डों में भिन्न–भिन्न है जिसमें वर्तमान गणना के अनुसार वन क्षेत्र 248 हे0, कृषि बेकार भूमि 5637 हे0, वर्तमान परती भूमि 38684 हे0, अन्य परती भूमि 5684 हे0, ऊसर कृषि अयोग्य भूमि 6762 हे0, खेती के अतिरिक्त अन्य भूमि 56543 हे0, स्थायी चारागाह 1417 हे0, अन्य वृक्ष एवं झाड़ियों की भूमि 6373 हे0 तथा कृषि योग्य भूमि 297005 हे0 है। इस प्रकार भूमि उपयोग में वर्ष 2013–14 की तुलना में 2015–16 में कृषि योग्य भूमि में कमी पायी गयी है तथा वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भूमि खेती के अतिरिक्त में वृद्धि हुई है। स्थायी चारागाह की भूमि में कमी हुई है। वर्ष 2014–15 की तुलना में 2015–16 में 5651 हे0 भूमि उपयाग में कमी देखी गयी है। अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विकासखण्डों में कृषि उपयोग का प्रतिरूप 2015–16 के अनुसा निम्न प्रकार से है। अधिक भूमि उपयोग करने वाले प्रखण्ड हरैया 26380 हे0 महाराजगंज 24004 है, मार्टीनगंज 23235 हे0, ठेकमा 22768 हे0 तरवीं 21980 हे0 लालगंज 21299 हे0 पवई 20535 हे0 भूमि है तथा कम भूमि उपयोग करने वाले प्रखण्डों में पल्हनी 12725 हे0, अतरौलिया 13036 हे0, पल्हना 142589 हे0 है तथा 2015–16 की गणनानुसार चारागाह क्षेत्र में ठेकमा 194 हे0, मिर्जापुर 155 हे0 अधिक है। हरैया शून्य हे0, विलरियागंज 12 हे0 भूमि सबसे कम है। वन भूमि का उपयोग ठेकमा 35 हे0 पवई 25 हे0, विलरियागंज 23 हे0, जहानागंज 21 हे0 तथा मार्टीनगंज, अजमतगढ़, हरैया जैसे विकासखण्ड में वन भूमि नहीं है तथा परती भूमि हरैया 2650 हे0, ठेकमा 2549 हे0, तरवां 2304 हे0, अहिरौला 2146 हे0 मार्टीनगंज 2201 हे0, अतरौलिया 995 हे0 सबसे कम भूमि है।

प्रस्तुत शोध पत्र आजमगढ़ जनपद में कृषि विकास के आयाम एवं पर्यावरणीय अध्ययन इसमें भूमि उपयोग का मूल्यांकन किया गया है। अब तक प्रकाशित भूगोल की पुस्तकों व शोध कार्य में टाजमगढ़ जनपद के सन्दर्भ में भूमि उपयोग से सम्बन्धित शीर्षक पर साहित्य में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। सर्वप्रथम एल0डी0 स्टाम्प ने ब्रिटेन का भूमि उपयोग सर्वे करवाया था। जिसमें उन्होंने भूमि को सात वर्गों में बॉटा कृषि भूमि, ऊसर, चारागाह, बाग, नर्सरी, इस भूमि वर्गीकरण को स्टाम्प ने अपने प्रसिद्ध कृषि विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सविन्द्र सिंह (2004) ने पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद में भूमि एवं जल संसाधन को पारिस्थितिक तंत्र का महत्व पूर्ण घटक माना तथा मृदा संरक्षण से सम्बन्धित विविध उपायों का उल्लेख किया है।

डॉ0 आर0के0 गुर्जन (1967) ने इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषि आधुनिकीकरण का अध्ययन किया। जिसमें उन्होंने 1971 से 1981 के मध्य में हुए कृषि क्रान्ति का सामाजिक आकलन कर क्षेत्र में कृषि विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किया है।

डॉ0 डी0 एस0 चौहान (1966) के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि प्रयोग एक तत्सामयिक प्रक्रिय है, जबकि मानवीय इच्छाओं के अनुरूप अपनाया गया भूमि–उपयोग एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है।

माजिद हुसैन (1976) ने कृषि उत्पादकता निर्धारण हेतु प्रदेश की प्रत्येक संघटक इकाई में बोयी गई फसल का क्षेत्र उत्पादकता मूल्य से संबंध को आधार माना, प्रो0 हुसैन ने इस आधार पर उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादक प्रदेशों का

निर्धारण किया। इस प्रकार अनेक भूगोलवेत्ताओं द्वारा भूमि उपयोग का अध्ययन किया लेकिन अभी भी टाजमगढ़ जनपद के बदलते भूमि उपयोग का अध्ययन नहीं हुआ अतः प्रस्तुत अध्ययन में इस क्षेत्र का गहन अध्ययन प्रस्तावित है। शोध कार्य में कृषि भूमि उपयोग, कृषि प्रारूप, जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण पर प्रभाव 775 का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है टाजमगढ़ जनपद में छरू विकासखण्डों का 2013–14 भूमि उपयोग के ऑकडों को आधार बनाया गया है। जनसंख्या वितरण से सम्बन्धित ऑकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या दबाव का स्पष्ट प्रभाव भूमि उपयोग की मात्रा पर पड़ा है। अध्ययन क्षेत्र में किसान सामान्यतः प्राचीन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं जो कि क्षेत्र की दशाओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त नहीं है, पानी का अपव्यय रोकने के लिए तालाब की खुदाई करनी चाहिए। जिससे वर्षा का पानी एकत्रित हो और जल स्तर में वृद्धि होगी और पारिस्थितिकीय सन्तुलन बना रहे।

भूमि उपयोग प्रबंधन की चुनौतियाँ और मुद्दे

भूमि उपयोग प्रबंधन की समस्याओं को देखते हुए आज यह एक समसामयिक आवश्यकता है कि शोधकर्ता, योजनाकार, नीति निर्माता, नौकरशाह तकनीकी विशेषज्ञ एक मंच पर भूमि उपयोग की समस्याओं और चुनौतियों पर गंभीर शोध और चर्चा से वंचित रहें। आजमगढ़ जिले में इस समस्या की चुनौतियां और मुद्दे विकट होते जा रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी, निरक्षरता और लाचारी की समस्या के कारण 1988 में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि उपयोग की नीति बनाई गई लेकिन वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूमि उपयोग नवीकरण नीति का मसौदा तैयार किया गया था और जिला स्तर पर भूमि उपयोग की समस्या, भूजल की स्थिति, बाढ़ और सूखा और स्थायी कृषि उत्पादन उन्नयन के लिए फसल पैटर्न हैं।

भूमि उपयोग के कारण पर्यावरणीय निम्नीकरण की समस्याएँ एवं सुझाव

अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग की समस्या के लिए शोधकर्ता ने भूमि के गलत उपयोग से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्या का आकलन किया है। जिले में भूमि उपयोग दिन–ब–दिन समस्या की जड़ बनता जा रहा है। मनुष्य का आधुनिक परिवेश दिन–ब–दिन बदल रहा है, क्योंकि भूमि पर जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए हम कृषि, वन, चारागाह, पत्तेदार भूमि, जल निकाय, पशु, वन–झाड़ियाँ बदल रहे हैं। आदि – प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, जिससे हमें पर्यावरण क्षरण की समस्या स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी और हमने भूमि उपयोग की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार, भूमि उपयोग के कारण पर्यावरणीय क्षरण की समस्या जैसे मिट्टी के कटाव की समस्या, अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का प्रदूषण।

गृह निर्माण का उद्देश्य

1. विश्राम के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुराणों की आवश्यकता होती है। जिन मुख्य उद्देश्यों के लिए घर बनाए जाते हैं वे निम्नलिखित हैं।

2. परिवार के रहने के लिए आराम और निवास स्थान के रूप में घर की आवश्यकता होती है। घर का आकार और प्रकार आर्थिक स्थिति और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। 3. पर्यावरण के तत्वों जैसे सर्दी, धूप, बारिश

आदि, जंगली जानवरों, चोर–लुटेरों और दुश्मनों आदि से सुरक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में घरों का निर्माण किया जाता है।

4. किसी भी स्थायी निवासी के लिए अपनी चीजों, संपत्तियों, जानवरों आदि को रखने के लिए घर बनाना आवश्यक है। संग्रहालय, पशु आश्रय आदि के निर्माण का यही उद्देश्य है।

5. विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों और सेवाओं के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के घरों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों में आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियाँ और राजनीतिक गतिविधियाँ प्रमुख हैं। आर्थिक गतिविधियों में जंगली चीजों का संग्रह, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, कृषि, निर्माण उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन और संचार, सेवाएं आदि प्रमुख हैं। इनके संचालन के लिए गोदाम, कार्यशाला, कारखाने, दुकान, बैंक, डाक और तार आदि के रूप में घरों की आवश्यकता होती है। घरों का उपयोग स्कूलों, सभागारों, पंचायत घरों, मंदिरों, मस्जिदों के रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। गुरुद्वारे, गिरजाघर, विधवा आदि। इसी प्रकार राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए भी मकान बनते हैं, जिनका आकार और प्रकार अधिक विविध है। प्रशासनिक कार्यालय, पुलिस चौकी या पुलिस थाना, सैन्य शिविर, किला, सचिवालय, निदेशालय, विधान सभा, संसद भवन आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियों का भौगोलिक अध्ययन

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियों के भौगोलिक अध्ययन के तहत ग्रामीण बस्तियों का विकास जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या, मानव क्रिया, सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण बस्तियों के पैटर्न गांवों का निर्धारण भौगोलिक स्थिति और संरचना के आधार पर किया जाता है। जिला आजमगढ़ ग्रामीण बस्तियां विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती हैं। जैसे समतल मैदानों में आयताकार झाल, तालाब में वृत्ताकार, सड़कों, नदियों के किनारे रेखीय, चार वर्गाकार ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियों की आवृत्ति अधिकतर आयताकार होती है। अध्ययन मध्य गंगा का मैदान है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग और अन्य व्यवसायों में लगी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बस्तियाँ बनाती है। ग्रामीण बस्ती मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिले का उत्तरी भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित है और उच्च स्थान उस स्थान के लोगों द्वारा बनाए गए हैं। अध्ययन क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से मैदानी कृषि क्षेत्र है। यहां के लोगों के आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक जीवन के विकास के लिए ग्रामीण बंदोबस्त महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

आजमगढ़ जनपद में शुद्ध बोया गया क्षेत्र में वृद्धि हुई है जबकि परती भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, ऊसर एवं अयोग्य भूमि, वन, आदि में कमी हुई है। वन क्षेत्र लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है। नवीन तकनीकों के कारण कृषि योग्य भूमि का विस्तार बढ़ रहा है। जो कि कृषि और कृषक दोनों के लिये शुभ संकेत है, जनपद में जोताकार सर्वाधिक 00–0. 5 सभी विकासखण्डों में सर्वाधिक है। सिंचाई के साधनों के विकास होने के कारण शस्य गहनता 142.99 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। वर्तमान शोध अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन के अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि एवं ग्रामीण बस्तियों, जिले में ग्रामीण बस्ती को तीन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। बढ़ती जनसंख्या वृद्धि और शोधकर्ता द्वारा भूमि

उपयोग की बदलती प्रकृति के कारण ग्रामीण बस्तियाँ बदल रही हैं। ग्रामीण बस्तियों में कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। उनके बढ़ते जनसंख्या वितरण और घनत्व के तहत, ग्रामीण बस्तियां बदल रही हैं जिसके कारण भूमि उपयोग पैटर्न कम हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि और भूमि उपयोग के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या के कारण, बंदोबस्ती निर्माण के कारण भूमि उपयोग पर प्रभाव दिखाई देता है। उनके क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियों की बदलती प्रकृति और शोधकर्ता द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अब ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण और ग्रामीण बस्तियों के बीच भूमि उपयोग पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कर ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है और ग्रामीण बस्तियों की जनसंख्या और भूमि उपयोग के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होगी। .

संदर्भ सूची

1. कमलेश, एस.आर. 1966 रू कृशि भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर कुमारी प्रतिभा, 2005 जनपद सन्त रविदास नगर टाजमगढ़ की जनसंख्या रू एक भौगोलिक विश्लेशण भाोध प्रबन्ध
2. डॉ. तिवारी आर.सी. एवं डॉ. सिंह वी.एन. 2006रू कृशि भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद
3. प्रसाद होशिला, 1989रू ज्ञानपुर तहसील के भूमि उपयोग का भौगोलिक अध्ययन (ठ.भ.न. शोध प्रबन्ध)
4. सिंह, साबिन्द्र, 2011रू पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद 5. सिंह, काशीनाथ, 2007रू कृशि भूगोल, मेट्रों पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली
5. सिंह, राधेश्याम, 1980 रू लालगंज ब्लाक, मिर्जापुर यू.पी. में भूमि उपयोग साधना पथ पत्रिका, जून– 2018 7. समाचार पत्र देशबन्धु दृ 2016 –
6. हुसैन माजिद 2006रू कृशि भूगोल, रावत पब्लिकेशन दिल्ली। 776 पृ0 67
7. एस0डी0 कौशिक, मानव भूगोल, 1997, रस्तोगी प्रकाशन, मेरठ, पृ0 39–61
8. हीरालाल यादव, जनसंख्या भूगोल, 2005, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर,
9. अल्का गौतम, कृषि भूगोल, 2009, शारदा पुस्तक भसन, इलाहाबाद, पृ0 129 5. सिंह, उजागिर, नगरीय भूगोल, 1992, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ
10. सिंह, आर0एल0, भारत का प्रादेशिक भूगोल, 1971, पृ0 195
11. डॉ0 डी0एस0 मौर्य, अधिवास भूगोल, 2017, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ0 95, 118
12. सिंह, सविन्द्र, पर्यावरण भूगोल, 2009, प्रयाग पुस्तक भूगोल, इलाहाबाद, पृ0 215, 259 8. जनपद सांख्यिकीय पत्रिका आजमगढ़ 2018
13. जनपद कृषि विभाग आजमगढ़ 2015–16